भारत का जीवन बीमा निगम

वी.

संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5909)

1 सितंबर, 2022

[अनिरुद्ध बोस और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। II आर। 2 और या। VI आर। 17 – या की प्रयोज्यता। II आर। 2 आयोजित एक संशोधन आवेदन के लिएः

Or.II r. 2 बाद के मुकदमे के खिलाफ एक बार के रूप में कार्य करता है यदि उसके आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं और अभिवचनों के संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत बाहर हो जाता है -

या. II आर। 2 केवल बाद के मुकदमों पर लागू होता है-या। II आर। 2 किसी मौजूदा वाद पर मांगे गए संशोधन पर लागू नहीं हो सकता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-सिविल प्रक्रिया की विशिष्ट निष्पादन संहिता, 1908 के लिए वाद-या II आर। 2 , या. VI आर। 17 - लागू करने की योग्यता

के-प्रत्यर्थियों ने समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया और वैकल्पिक रूप से, हर्जाने के लिए अनुरोध किया-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को हर्जाने के वैकल्पिक दावे के लिए राशि बढ़ाने की मांग करते हुए वाद में संशोधन करने की अनुमति दी। की शुद्धता-आयोजितः अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि संशोधन आवेदन यू/Or.II आर बार को लागू करके खारिज किया जा सकता है। 2 सी. पी. सी.-Or.II आर. 2 सीपीसी का

किसी मौजूदा वाद पर मांगे गए संशोधन पर लागू नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, संशोधन आवेदन भी रचनात्मक प्रति न्यायिक के सिद्धांत से प्रभावित नहीं होता है-उक्त सिद्धांत का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि पूर्ण सुनवाई के बाद पक्षों के बीच कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ था-इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा उस स्तर पर आया है जब नीचे की अदालतों ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मुख्य राहत के विकल्प में नुकसान की राशि बढ़ाने के उद्देश्य से वाद के संशोधन की अनुमति दी है-इसके अलावा, यह सफलतापूर्वक आग्रह नहीं किया जा सकता है कि 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा होगा।

सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं किया जाएगा-इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऐसे मुकदमे के लिए Or.VI में निहित प्रावधान, सी. पी. सी. की धारा 17 लागू होगी और एक वादी जो पहले मुआवजे के लिए राहत को शामिल करने में विफल रहा है या जिसने इसे शामिल किया है।

मुआवजे के लिए राहत लेकिन उसी में संशोधन चाहता है, संशोधन के माध्यम से इन राहतों को पेश करने के लिए अदालत की अनुमति ले सकता है उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए संशोधन आवेदन को बाधित नहीं करने की अनुमति देता है-रचनात्मक न्यायपालिका का सिद्धांत।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VI आर। 17 – अभिवचनों का संशोधन-आयोजितः सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो हैं -

विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के लिए अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने-यह अनिवार्य है, जैसा कि या के उत्तरार्ध में "होगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है। VI आर। 17- अभिवचनों के संशोधन के लिए एक प्रार्थना से निपटने में, अदालत को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जहां विरोधी पक्ष को लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है-जहां संशोधन होगा

न्यायालय को विवाद पर स्पष्ट रूप से विचार करने में सक्षम बनाना और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करना,

संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए-जहां संशोधन केवल कार्रवाई के समयबद्ध कारण को पेश किए बिना एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास करता है, तो संशोधन की अनुमति सीमा समाप्त होने के बाद भी दी जा सकती है-केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है-जहां देरी का पहलू तर्कपूर्ण है, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और

निर्णय के लिए अलग से बनाई गई सीमा का मुद्दा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VI आर। 17 - अभिवचनों में संशोधन-कब अनुमति दी जाए और कब अनुमति नहीं दी जाए-पर चर्चा की गई।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-एस. 21 (5) और एस। 22 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VI आर। 17 – आयोजित किया गयाः दो परंतुक वादी को अपनी शिकायत में संशोधन करने की अनुमति देने के सवाल से संबंधित हैं-यह, मानो, इन दो परंतुकों के अभाव में, वादी के लिए कानूनी रूप से अनुमति नहीं है कि वह बढ़े हुए मुआवजे के लिए राहत पेश करके अपने अभिवचन में संशोधन करे - आदेश VI का आर. 17 किसी न्यायालय को किसी पक्ष को अपने अभिवचन को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है जो न्यायसंगत हो और ऐसे सभी संशोधनों को करने की अनुमति देता है जो आवश्यक हो। पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से।

भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - एस. 21-का दायरा और दायरा

चर्चा-विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम, 2018।

शब्द और वाक्यांशः

" ", ओर के अंतिम भाग में। VI आर। 17 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VI r। 17 .

" मुकदमा करना छोड़ देता है और जानबूझकर इसके किसी भी हिस्से को छोड़ देता है।

उनका दावा "-चर्चा-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.II r। 2 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत को संशोधन के लिए अनुरोध को मंजूरी देने में बेहद उदार होना चाहिए, अगर अदालत

विचार करें कि यदि इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं है, तो एक पक्ष, जिसके पास है इस तरह के संशोधन के लिए प्रार्थना की, अपूरणीय क्षति और चोट का सामना करना पड़ेगा। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई पूर्ण नियम नहीं है कि हर मामले में जहां सीमा के कारण राहत पर रोक है,

संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत के लिए संशोधन की अनुमति देना हमेशा खुला रहता है यदि उसका विचार है कि संशोधन की अनुमति देने से वास्तव में न्याय का अंतिम उद्देश्य पूरा होगा और आगे मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। संशोधन की अनुमति देने की शक्ति निस्संदेह व्यापक है और सीमा कानून के बावजूद न्याय के हित में किसी भी स्तर पर उचित रूप से प्रयोग की जा सकती है। अभियोग के संशोधनों पर लागू सिद्धांत लिखित बयानों के संशोधनों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालतें लिखित बयान के संशोधन की अनुमति देने में अधिक उदार हैं क्योंकि उस घटना में पूर्वाग्रह का सवाल कम होने की संभावना है। प्रतिवादी को बचाव में वैकल्पिक याचिका दायर करने का अधिकार है, जो हालांकि, एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा दूसरे पक्ष को इसके अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

अन्याय और वादी के पक्ष में की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को वापस नहीं लिया जाता है। अभिवचनों के सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो मुकदमे में वास्तविक विवादों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण को परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं करता है जिसके आधार पर मूल विधेयक उठाया गया था या बचाव किया गया था। तथ्यों की स्वीकृत स्थिति या तथ्यों के पारस्परिक रूप से विनाशकारी आरोपों को नकारते हुए असंगत और विरोधाभासी आरोपों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से निगमित। प्रस्तावित संशोधन से दूसरे [2022] 8 एस. सी. आर. के प्रति इस तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।

एक पक्ष जिसकी भरपाई लागत द्वारा नहीं की जा सकती है। कोई संशोधन नहीं अनुमति दी जानी चाहिए जो किसी कानूनी व्यक्ति को हराने के बराबर या उससे संबंधित हो।

समय बीतने के कारण विरोधी पक्ष को उपार्जित अधिकार। अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन दायर करने में देरी की भरपाई उचित रूप से लागत और त्रुटि या गलती से की जानी चाहिए, जो यदि धोखाधड़ी नहीं है, तो शिकायत या लिखित बयान के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन निस्संदेह, संशोधन के लिए प्रत्येक मामले और प्रत्येक आवेदन का परीक्षण मामले के लागू तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। चूंकि अभिवचनों का प्रस्तावित संशोधन एक ही तथ्यों के लिए केवल एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण के बराबर है, इसलिए इस न्यायालय ने बार-बार यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि

वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी संशोधन की अनुमति होगी।

सीमा अवधि। [पारस 19,23,25 और 26] [1135-सी-डी; 1137-डी; 1138-बी-जी]

एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. जार्डिन स्किनर एंड कंपनी ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 357: [1957] एससीआर 438; टी. एन. मिश्र धातु फाउंड्री

कं. लिमिटेड बनाम। टी. एन. विद्युत बोर्ड और अन्य। (2004) 3 एससीसी 392: [2004] 2 एससीआर 352; पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम।

कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल 2 ओआरएस। [1957] एससीआर 595:

ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 363; गंगा बाई बनाम विजय कुमार और अन्य। (1974) 2 एससीसी 393: [1974] 3 एस. सी. आर. 882; मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कं. मोजी राम (1978) 2 एस. सी. सी. 91: [1978] 2 एस. सी. आर. 614; साउथ कोंकण डिस्टिलरीज एंड ए. एन. आर. वी.

प्रभाकर गजानन नाइक और अन्य। (2008) 14 एससीसी 632: [2008] 13 एससीआर 295; ए. के. गुप्ता संस लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी निगम ए. आई. आर 1967 एस. सी. 96 [1966] 1 एस. सी. आर.

796 ; पंकज और अन्र। वी. एल. आर. द्वारा येलप्पा (मृत)। & ओआरएस। (2004) 6 एस. सी. सी. 415-पर निर्भर था।
1.2 अनुमति देने में कानून के प्रमुख सिद्धांतों में से एक या

अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करना यह है कि

अदालतें आम तौर पर, एक नियम के रूप में, संशोधनों की अनुमति देने से इनकार कर देती हैं, अगर संशोधित दावे पर एक नया मुकदमा आवेदन दायर करने की तारीख पर सीमा द्वारा बाधित किया जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा कारक होगा जिसे विवेकाधिकार के प्रयोग में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यह शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

यदि न्याय के हित में इसकी आवश्यकता है तो न्यायालय इसका आदेश दे सकता है।

[पैरा 30] [1141-डी-ई] भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश (के बीच)

जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, उन्हीं पक्षों के पास कोई आवेदन नहीं है। इसमें अपीलकर्ता केवल भारतीय जीवन बीमा निगम में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के बल पर वर्तमान अपील में सफल नहीं हो सकता है। [पैरा 42] [1148-डी]

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। संजीव बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (2018) 11 एससीसी 722: [2017] 10 एस. सी. आर. 208 लागू नहीं हुआ।

उक्त नियम तैयार करने में विधायिका का इरादा। 'मुकदमा' शब्द का अर्थ प्रावधान के संदर्भ के आधार पर मुकदमा दायर करना और मुकदमे को उसकी परिणति तक चलाना दोनों हो सकता है। वर्तमान मामले में, विधायिका ने किसी भी राहत के लिए बाद में मुकदमा करने से वादी को प्रतिबंधित करना उचित समझा, जिसे उसने अदालत की अनुमति के बिना या किसी के संबंध में मुकदमा करने से छोड़ दिया है। अपने दावे का वह हिस्सा जिसे वह जानबूझकर छोड़ देता है। आदेश II नियम 2 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा शामिल होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है। [पैरा 45] [1149-डी-ई]

3.2 सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 का बार केवल इन पर लागू होता है -

बाद के सूट। यदि दो मुकदमे और उसमें दावा की गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित है तो बाद का मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के तहत वर्जित हो जाएगा। हालाँकि, यहाँ अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि संशोधन आवेदन सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध लागू करके अस्वीकार किया जा सकता है। सी. पी. सी. का आदेश II नियम 2 उस संशोधन पर लागू नहीं हो सकता है जिसकी मांग किसी मौजूदा मुकदमे पर की जाती है। अपीलार्थी की ओर से यहाँ उठाए गए इस तर्क से भी प्रभावित नहीं कि संशोधन आवेदन रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत से प्रभावित है। तत्काल मामले में रचनात्मक न्यायिक निर्णय के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि पूर्ण सुनवाई के बाद पक्षों के बीच कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ था। इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा उस स्तर पर सामने आया है जब नीचे की अदालतों ने [2022] 8 एस. सी. आर. के लिए वाद के संशोधन की अनुमति दी।

क्षति के लिए राशि बढ़ाने का उद्देश्य अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मुख्य राहत का विकल्प। [पैरा 49,50 और 52] [1152-डी-ई; 1153-जी-एच; 1154-ए]

गुरबक्स सिंह बनाम। भुरालाल एयर 1964 एससी 1810: [1964] 7 एस. सी. आर. 831-अनुसरण किया गया।

वैश्य सहकारी आदर्श बैंक लिमिटेड बनाम। गीतांजलि

देशपांडे और ओआरएस। (2003) 102 डीएलटी 570-अनुमोदित।

प्रतिवादी द्वारा तोड़ा गया लेकिन घटना में, यह निर्णय लेता है कि विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। धारा 21 की उप-धारा (3) अदालत को उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का अधिकार देती है। विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री के अतिरिक्त जहां यह विचार है कि केवल विशिष्ट निष्पादन मामले के न्याय को संतुष्ट नहीं करेगा। हालांकि, उप-धारा (5) में कहा गया है कि इस धारा के तहत तब तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता जब तक कि वादी ने शिकायत में ऐसे मुआवजे का दावा नहीं किया हो। यह प्रावधान अनिवार्य है। धारा की उप-धारा (5) का परंतुक

21 वादी, जिसने वाद में ऐसे मुआवजे का दावा नहीं किया है, को कार्यवाही के किसी भी चरण में वाद में संशोधन करने की अनुमति देकर मुख्य प्रावधान की कठोरता को कम करता है और न्यायालय, यह प्रावधान किया गया है, कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसी शर्तों पर ऐसे मुआवजे के लिए दावे को शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति देगा जो उचित हो। धारा 22 में एक गैर-अबाधित प्रावधान है जो सी. पी. सी. को ओवरराइड करता है। एक वादी जो विशिष्ट दावा करता है

अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध का निष्पादन, एक उपयुक्त मामले में विशिष्ट प्रदर्शन के अलावा संपत्ति के कब्जे, विभाजन और अलग कब्जे के लिए कह सकता है। वादी किसी अन्य राहत का भी दावा कर सकता है, जिसमें बकाया राशि की वापसी या भुगतान की गई जमा राशि शामिल है, यदि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दावा अस्वीकार कर दिया जाता है। धारा 21 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुरूप, धारा 22 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि अदालत द्वारा ऐसी राहत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि

यह विशेष रूप से दावा किया गया है।

हालांकि, इस परंतुक के लिए भारत के जीवन बीमा निगम की आवश्यकता है। संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर।

कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर वादी को ऐसी राहत का दावा करने के लिए वाद में संशोधन करने की अनुमति देगा जहां मूल रूप से ऐसी शर्तों पर दावा नहीं किया गया है जो न्यायसंगत प्रतीत हों। [पैरा 54,55,56 और 58] [1154-बी; 1155-बी-ई; 1156-डी-ई]

शम्सु सुहारा बीवी बनाम। जी. एलेक्स और एनर। (2004) 8 एससीसी 569 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 653-संदर्भित।

4.2 मूल वाद में वादी ने दावा किया कि

बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री के अलावा मुआवजा। इसलिए, अधिनियम 1963 की धारा 21 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं हैं। माँगने में वादियों का इरादा

ऐसा प्रतीत होता है कि वाद का संशोधन मूल वाद में मूल रूप से दावा की गई क्षतिपूर्ति की राशि की तुलना में बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने के लिए है, जो केवल एक लाख रुपये तक सीमित थी। 1,01,00,000 / - . उपरोक्त इरादा तब स्पष्ट हो जाता है जब में किए गए कथन

संशोधन के लिए प्रार्थना करने वाले आवेदन पर विचार किया जाता है क्योंकि,

वादियों ने कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 30 वर्षों में वाद संपत्ति के मूल्य में जबरदस्त वृद्धि हुई है जिसका नुकसान, मुआवजे की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए मांगी गई राहत। वादी के अनुसार मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। 400,01,00,000 / - रु. से। 1,01,00,000 / - जैसा कि मूल शिकायत में दावा किया गया है मुकदमे के अभियोजन में अनुचित देरी को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था, जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया गया था, जिसने बदले में वर्षों से वादी को अधिक नुकसान पहुंचाया है और इसलिए, उन्होंने मुआवजे की राशि को वर्तमान मूल्य तक बढ़ाने की मांग की है जैसा कि ऊपर कहा गया है। 1,01,00,000 / - . उल्लिखित दो परंतुक, वादी को अपनी शिकायत में संशोधन करने की अनुमति देने के प्रश्न से संबंधित हैं। यह, मानो, इन दो प्रावधानों के अभाव में, वादी के लिए कानूनी रूप से अनुमति नहीं है कि वह बढ़े हुए मुआवजे के लिए राहत पेश करके अपने अभिवचन में संशोधन करे। सी. पी. सी. के आदेश VI का नियम 17 किसी न्यायालय को किसी पक्ष को अपनी दलील को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है जो न्यायसंगत हो। यह नियम यहीं पर नहीं रुकता है, लेकिन यह आगे कहता है कि ऐसे सभी संशोधनों को किया जाना चाहिए।

[2022] 8 एस. सी. आर. निर्धारित करने के उद्देश्य से जो भी आवश्यक हो, किया जाए।

पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न। यह प्रावधान जो न्यायालय को अपने विवेकाधिकार में किसी पक्ष को अपनी दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देने का अधिकार देता है, वह पहले से ही क़ानून की पुस्तक में था, जब विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 लागू किया गया था। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब बाद वाला कानून विचाराधीन था, संसद को अनुमति देने की अदालत की इस शक्ति के बारे में पता था

क्षतिपूर्ति लेकिन उसी में संशोधन चाहता है, इन राहतों को पेश करने के लिए अदालत की अनुमति ले सकता है संशोधन। [पारस 64 और 66] [1160-एफ-एच; 1161-ए-बी, ई-एच; 1162 ए]

4.3 अंतिम निष्कर्षः

(i) आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के खिलाफ एक बार के रूप में काम करता है

पश्चात्वर्ती वाद यदि उसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी हो जाती हैं और अभिवचनों के संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत बाहर हो जाता है। संशोधन की याचिका के तहत वर्जित किया जा रहा है

इस प्रकार, आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. गलत धारणा है और इसलिए इसे नकार दिया गया है।

((ii) सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो आवश्यक हैं।

विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के लिए अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने। यह अनिवार्य है, जैसा कि सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध भाग में "होगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।

((iii) संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए।

(i) यदि पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिए संशोधन की आवश्यकता है, और

((ii) कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते कि

(a) संशोधन के परिणामस्वरूप अन्याय नहीं होता है

दूसरी ओर, भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर।

(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्षकार

द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति को वापस लेने की मांग नहीं करता है

वह पक्ष जो दूसरी ओर अधिकार प्रदान करता है और

(ग) संशोधन एक समयबद्ध दावे को नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक मूल्यवान उपार्जित के दूसरे पक्ष का विनिवेश होता है। सही (कुछ स्थितियों में)।

((iv) आम तौर पर संशोधन के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है

अनुमति है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, एक समयबद्ध दावा पेश करने की मांग की जाती है, इस मामले में यह तथ्य कि दावा

समय की पाबंदी विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है,

((ii) संशोधन मुकदमे की प्रकृति को बदल देता है,

((ग) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv) संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध अधिकार खो देता है।

रक्षा।

(v) अभिवचनों के संशोधन के लिए एक प्रार्थना से निपटने में, न्यायालय को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और सामान्य रूप से उदार होने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जहां विरोधी पक्ष को लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

((vi) जहां संशोधन न्यायालय को विवाद पर स्पष्ट रूप से विचार करने में सक्षम बनाएगा और अधिक विवाद उत्पन्न करने में सहायता करेगा।

संतोषजनक निर्णय, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए।

((vii) जहां संशोधन में केवल एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने की मांग की गई थी, बिना किसी समय-सीमा को लागू किए।

कार्रवाई के कारण, सीमा समाप्त होने के बाद भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

((viii) जहां भी संशोधन की अनुमति है, उसे उचित ठहराया जा सकता है।

वाद में सामग्री विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारने का इरादा।

(ix) केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां विलंब का पहलू तर्क योग्य है,

संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और निर्णय के लिए सीमा का मुद्दा अलग से तैयार किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन मुकदमे की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदल देता है, ताकि एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया जा सके, विदेशी [2022] 8 एस. सी. आर.

वाद में स्थापित मामले में, संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, जहाँ माँगा गया संशोधन केवल वाद में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो पहले से ही वाद में प्रस्तुत किए गए हैं, वहाँ आम तौर पर संशोधन की अनुमति दी जानी आवश्यक है।

(xi) जहां प्रारंभ से पहले संशोधन की मांग की जाती है।

संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन अपूरणीय नहीं होता है विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित करना जो उसने संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त किया था, संशोधन की आवश्यकता हैः

अनुमति दी गई। समान रूप से, जहां न्यायालय के लिए विवाद में मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए संशोधन आवश्यक है पक्षों के बीच, संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। [पैरा 70] [1162-जी-एच; 1163-ए-एच; 1164-ए-एच]

(2000) 1 एससीसी 712: [1999] 5 पूरक। एससीआर 271; जगदीश सिंह बनाम। नट्टू सिंह (1992) 1 एस. सी. सी. 647: [1991] 2

पूरक। एस. सी. आर. 567-पर निर्भर। चरण दास और ओआरएस। वी. आमिर खान और ओआरएस। एयर 1921 पीसी

50 ; किसानदास रूपचंद और अन्न। वी. राचप्पा विठोबा

तिलक डी. जॉन बनाम एस. रायप्पन और अन्य। (2001) 2 एससीसी 472 ; विश्वंभर और ओआरएस। वी. लक्ष्मीनारायण (मृत)

एलआरएस के माध्यम से। & एन. आर. (2001) 6 एस. सी. सी. 163; विनीत कुमार

वी. मंगल सैन वढेरा (1984) 3 एससीसी 352: [1984] 2 एससीआर 333: ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 817; संजीव बिल्डर्स प्रा.

लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारतीय जीवन बीमा निगम 2018

एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 15283; मोहम्मद। खलील खान और ओआरएस।

वी. महबूब अली मियां और अन्य। आकाशवाणी 1949 पी. सी. 78; उपेंद्र

नारायण रॉय बनाम। राय जनोकी नाथ रॉय ए. आई. आर. 1919 कैल 904;

कहानी डेवलपर्स प्रा. लि. लिमिटेड वी.

मुके

श

मोरारजीपनचमटिया और अन्य। (2013) 3 माह एलजे 440;

आर्य प्रदेशक प्रीतिनिधि सभा, सिंध, पंजाब

& बिलोचिस्तान बनाम। लाहौरी मल और ओआरएस।

(1924) 6 भारत का लाह एल. जे. जीवन बीमा निगम v. संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर।

286 : ए. आई. आर. 1924 48 लाह 713; सोमसुंदरम चेट्टियार वी. चिदम्बरम चेट्टियार, ए. आई. आर. 1951 मैड 282; विजय

गुप्ता बनाम। गगनिंदर क्र. गांधी और ओआरएस। , 2022 एससीसी

ऑनलाइन डेल 1897-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 208

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 7

[1957] एससीआर 438

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2004] 2 एससीआर 352

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[1957] एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[1974] 3 एससीआर 882

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[1978] 2 एससीआर 614

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

उस पर भरोसा करें

[2008] 13 एससीआर 295

पैरा 25

[1966] 1 एससीआर 796

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

(2004) 6 एससीसी 415

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

(2001) 2 एस. सी. सी. 472

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(2001) 6 एससीसी 163

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1984] 2 एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[1964] 7 एससीआर 831

पीछा किया।

पैरा 48

[2004] 3 पूरक। एससीआर 653

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[1999] 5 पूरक। एससीआर 271

उस पर भरोसा करें

पैरा 61

[1991] 2 पूरक। एससीआर 567

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5909

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 13.12.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की अपील [एल] No.499 में 2017 के चैंबर समन संख्या 854 में 1986 के सूट No.894 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

डी. एन. गोबर्धन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आकाश कामरा, सुश्री गौरी गोबर्धन

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, एन.

जनार्दनन, सुश्री काजल दलाल, अभिनव गर्ग, सुश्री दीपशिखा मिश्रा [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील विशिष्ट निष्पादन के लिए उत्तरदाताओं (मूल वादी) द्वारा दायर मुकदमे में एक प्रतिवादी के आग्रह पर है। 2018 की अपील संख्या 499 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जो एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की ओर से 2017 के चैंबर समन संख्या 854 में 1986 के मुकदमे संख्या 894 में पारित आदेश से उत्पन्न होता है। उच्च न्यायालय द्वारा वादी के कहने पर चैंबर समन की अनुमति दी गई थी, जिसमें वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। चैंबर समन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि 2018 की अपील संख्या [एल] 499 में एक खंड पीठ द्वारा की गई। उच्च न्यायालय ने वादी को हर्जाने के वैकल्पिक दावे के लिए राशि बढ़ाने की मांग करते हुए वाद में संशोधन करने की अनुमति दी।

फैक्ट मैट्रिक्स

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि यहाँ उत्तरदाता मूल वादी हैं और यहाँ अपीलार्थी मूल है।

1986 के वाद सं. 894 में प्रतिवादी, जो अपने मूल पक्ष पर बॉम्बे के उच्च न्यायालय में आज तक लंबित है। उक्त मुकदमा दिनांकित 08.06.1979 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए शुरू किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वादी ने हर्जाने के लिए भी प्रार्थना की है। वादी ने 2017 के चैंबर समन संख्या 854 को स्थानांतरित कर दिया। विशेष रूप से, उक्त चैंबर समन के समर्थन में दायर हलफनामे में उल्लिखित आधारों पर हर्जाने के लिए राशि बढ़ाने की मांग की गई है।

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर निर्दिष्ट कक्ष समन की अनुमति दी, दिनांक 11.09.2018 के आदेश के अनुसार,

सीमा का मुद्दा खुला है और प्रतिवादी, अपीलार्थी को भी अनुमति देना इसमें, अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए।

5. अपीलार्थी ने यहाँ उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता दी जिसे दिनांक 13.12.2018 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

6. ऊपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी (मूल प्रतिवादी) वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील,

जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। वह प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनदेखी की गई। संजीव बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। , (2018) 11 समान पक्षों के बीच एस. सी. सी. 722, एक ही मुकदमे से उत्पन्न होता है।

कार्यवाही। 8. विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय को वादी को एक अवधि के बाद वाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी

इकतीस वर्ष, विशेष रूप से, जब पहले के संशोधन की मांग की गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम (उपरोक्त) में पारित 24.10.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा वाद में वादी संख्या 3 के रूप में समनुदेशिती को शामिल करने से इनकार कर दिया गया था।

9. विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि संशोधन आदेश II नियम के प्रावधानों से प्रभावित था

2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.')। वह प्रस्तुत करेंगे कि संशोधन को सिद्धांत से भी प्रभावित कहा जा सकता है

रचनात्मक न्यायपालिका। 10. विद्वान वकील ने बताया कि जिस समय मुकदमा दायर किया गया था, उस समय रुपये का नुकसान हुआ था। 1,01,00,000 / - [रु. विकल्प में केवल एक करोड़ और एक लाख के लिए प्रार्थना की गई थी। वैसे।

संशोधन के लिए अब जो नुकसान की मांग की गई है, वह रु। 4,00,01,00,000 / - [रु. चार सौ करोड़ और केवल एक लाख]। 11. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी (मूल प्रतिवादी) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और वादी द्वारा दायर मूल संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया जा सकता है।

जिम्मेदारों के स्वयं के बारे में सुझाव

12. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

दूसरी ओर, इसमें (मूल वादी) ने प्रस्तुत किया कि कोई भी त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं करने के लिए, [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा की गई कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीमा के प्रश्न को खुला रखा गया है जो मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा उत्तेजित किया जा सकता है और प्रतिवादी को अपना अतिरिक्त लिखित बयान दायर करने की भी अनुमति दी गई है। 13. विद्वत वकील प्रस्तुत करेगा कि वाद पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है और ऐसी परिस्थितियों में, हर्जाने के लिए राशि बढ़ाने के उद्देश्य से वाद में संशोधन करने में देरी प्रतिवादी के लिए कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी।

14. विद्वान वकील ने आगे कहा कि सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के प्रावधानों को किसी आवेदन पर लागू नहीं किया जा सकता है। शिकायत में संशोधन की मांग करना।

15. विद्वान वकील ने अंतिम में प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का निर्णय भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में दिया गया है।

(उपर्युक्त) एक ही पक्ष के बीच पूरी तरह से एक अलग संदर्भ में था। इस न्यायालय के समक्ष उक्त अपील में, मुद्दा यह था कि क्या नियत व्यक्ति को वाद की स्थापना की तारीख से सत्ताईस साल की अवधि के बाद वाद में वादी के रूप में शामिल किया जा सकता था?

16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, इसे लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

17. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, कानून के निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय के विचार के लिए आते हैं:

1 . क्या उच्च न्यायालय ने कोई भौतिक अनियमितता की है

या पारित करने में मामले की जड़ तक जाने वाली अधिकार क्षेत्र की त्रुटि

विवादित आदेश?

2 . क्या आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधान हो सकते हैं

संशोधन आवेदन पर लागू किया गया? क्या इस उद्देश्य के लिए वाद का संशोधन

3 . यह कहा जा सकता है कि हर्जाने के लिए राशि बढ़ाना रचनात्मक न्याय व्यवस्था के सिद्धांत से प्रभावित हो सकता है?

4 .

क्या निर्णय और आदेश एक समन्वय द्वारा पारित किया गया है जीवन बीमा के मामले में इस न्यायालय की पीठ

समान पक्षों के बीच भारतीय निगम (ऊपर)

क्या वर्तमान अपील से कोई संबंध है?

भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

5. क्या वर्तमान अपील परंतुक द्वारा कवर की गई है

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 21 (5) और धारा 22 (2) का जवाब (संक्षेप में, 'अधिनियम 1963')?

18. प्रतिद्वंद्वी विवादों की ओर रुख करने से पहले दोनों में से किसी पर भी प्रचार किया जाता है

पक्ष और इससे पहले कि हम प्रार्थना खंड के संबंध में वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करें, आइए हम अभिवचनों के संशोधन के लिए अनुरोध को अनुमति देने या अस्वीकार करने के प्रश्न पर कानूनों पर विचार करें, विशेष रूप से, जब किसी एक पक्ष द्वारा सीमा का अनुरोध लिया गया था।

19. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत को बेहद उदार होना चाहिए।

संशोधन के लिए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, यदि न्यायालय का विचार है कि यदि इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं है, तो एक पक्ष, जिसने इस तरह के संशोधन के लिए अनुरोध किया है, को अपूरणीय क्षति और चोट का सामना करना पड़ेगा। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई पूर्ण नियम नहीं है कि हर मामले में जहां सीमा के कारण राहत पर रोक है, संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत के लिए संशोधन की अनुमति देना हमेशा खुला रहता है यदि उसका विचार है कि

संशोधन की अनुमति देने से वास्तव में न्याय का अंतिम उद्देश्य पूरा होगा और आगे की मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 357, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें एक नियम के रूप में अस्वीकार कर देंगी।

संशोधनों की अनुमति देने के लिए, यदि संशोधित दावे पर एक नया मुकदमा है

आवेदन की तारीख पर सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा।

लेकिन यह एक कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए

न्याय के हित में आवश्यक "। 20. फिर से टी. एन. एलॉय फाउंड्री कंपनी में। लिमिटेड वी. टी. एन. बिजली

बोर्ड और ओआरएस। , (2004) 3 एस. सी. सी. 392, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 2. ..... वादी में संशोधन की अनुमति देने के संबंध में कानून,

अच्छी तरह से व्यवस्थित है। एल. जे. लीच एंड कं. लिमिटेड वी. जार्डिन स्किनर

[ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 357: 1957 एससीआर 438] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

न्यायालय एक नियम के रूप में संशोधनों की अनुमति देने से इनकार कर देगा, यदि संशोधित दावे पर नए मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा।

आवेदन की तारीख पर। लेकिन यह एक कारक है जिसे लिया जाना चाहिए।

इस विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कि क्या

संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यह शक्ति को प्रभावित नहीं करता है

इसका आदेश देने के लिए अदालत।

22] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. यह विवादित नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय की सह-व्यापक शक्ति है। हम पाते हैं कि विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया

उच्च न्यायालय द्वारा वाद को अस्वीकार करना कानून के अनुरूप था।

21. जहाँ तक इस विशिष्ट याचिका के उत्तर का संबंध है कि हर्जाने का दावा सीमितता से वर्जित है और इस स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, विभिन्न न्यायिक उपबंधों की जांच करना आवश्यक हो जाता है।

इस न्यायालय की घोषणाएँ। संशोधन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, जिन्हें वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमति दी जा सकती है, प्रिवी काउंसिल द्वारा चरण दास और अन्य मामलों में अपने फैसले में निर्धारित किए गए थे। वी. आमिर खान और ओआरएस। , एयर 1921 पीसी 50। इस मामले में, प्रिवी काउंसिल ने इस प्रकार के सिद्धांत निर्धारित किए:

एक कानूनी अधिकार जो समय के साथ उसे प्राप्त हुआ है, फिर भी ऐसे मामले हैं: उदाहरण के लिए मोहम्मद जहूर अली बनाम देखें। रुट्टा कोएर, जहाँ इस तरह के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं मामले की विशेष परिस्थितियाँ और उनके अधिपत्य न्यायिक आयुक्त से अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह सोचकर कि वर्तमान मामला एक है।

22. पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भी ध्यान देना उपयोगी होगा। कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल और 2 अन्य। ,

1957 एससीआर 595: ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 363, जिसमें इस न्यायालय ने इस आधार पर संशोधन पर आपत्ति पर विचार किया कि यह एक नया मामला और कार्रवाई का एक नया कारण है। इस मामले में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया वे सिद्धांत जो विवेकाधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करेंगे कि क्या न्यायालय को अभिवचनों के संशोधन की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। इस न्यायालय ने किशनदास रूपचंद और अन्न के मामले में बैचेलर, जे. की टिप्पणियों को मंजूरी दी। वी. रचप्पा विठोबा शिलवंत और अन्य। आई. एल. आर. (1909) 33 बॉम 644 में बताया गया है, जब उन्होंने सिद्धांतों को इस प्रकार निर्धारित किया:

" 10. ..... " उन सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो (ए) दूसरे के साथ अन्याय न करने की दो शर्तों को पूरा करते हैं। पक्ष, और (ख) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होना। लेकिन मैं आगे के अधिकारियों का हवाला देने से बचता हूं, क्योंकि, मेरी राय में, वे सभी ठीक एक ही सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

वह सिद्धांत, जैसा कि मैं भारत के बीमा निगम को मानता हूँ v. संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इसे समझें, कि संशोधनों को केवल अस्वीकार किया जाना चाहिए जहाँ दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है

मानो अभिवचन मूल रूप से सही था, लेकिन

संशोधन से उसे चोट लगेगी जो नहीं हो सकती थी

लागत में क्षतिपूर्ति। यह केवल इस सामान्य नियम का एक विशेष मामला है कि जहां कोई वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में एक नया दावा स्थापित करके संशोधन करना चाहता है जो तब से वाद की स्थापना सीमा द्वारा वर्जित हो गई थी, संशोधन को अस्वीकार किया जाना चाहिए; इसकी अनुमति देने के लिए प्रतिवादी को एक ऐसी चोट पहुंचाना होगा जिसकी भरपाई उसे दावे के लिए एक अच्छे बचाव से वंचित करके लागत में नहीं की जा सकती थी। इसलिए अंतिम परीक्षा अभी भी वही है कि क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना संशोधन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? .....

23. इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुमति देने की शक्ति

यह निस्संदेह व्यापक है और सीमा कानून के बावजूद न्याय के हित में उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। एस की ओर से, गंगा बाई बनाम। विजय कुमार और अन्य। , (1974) 2 एससीसी 393,

न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 22. ..... संशोधन की अनुमति देने की शक्ति निस्संदेह व्यापक है और किसी भी स्तर पर सीमा कानून के बावजूद न्याय के हित में उचित रूप से प्रयोग की जा सकती है। लेकिन

ऐसी दूरगामी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग है

न्यायिक विचारों द्वारा शासित और व्यापक विवेकाधिकार, न्यायालय की ओर से अधिक सावधानी और चौकसी होनी चाहिए।

24. फिर से मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कं. वी. मोजी राम, (1978) 2

91 , इस न्यायालय ने इस प्रकार सिद्धांत निर्धारित किए:

" 4. अभिवचनों के मुख्य नियमों के पूर्वगामी सारांश से यह स्पष्ट है कि अभिवचनों के संशोधन के लिए प्रावधान,

लागत और सभी पक्षों को देने जैसी शर्तों के अधीन

सटीक स्थितियों का सामना करने के लिए संबंधित आवश्यक अवसर

संशोधनों के परिणामस्वरूप, बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेत हैं न्याय का अंत और उन्हें हराने के लिए नहीं। भले ही कोई पार्टी या

उसका वकील शुरू में अपने मामले को निर्धारित करने में अक्षम है

कमियों को निश्चित रूप से आम तौर पर दूर किया जा सकता है

एक पक्ष द्वारा उठाए गए उचित कदम जो निस्संदेह भुगतान करने चाहिए

अन्य [2022] 8 एस. सी. आर. के कारण होने वाली असुविधा या व्यय के लिए लागत।

उसकी चूक से पक्ष। त्रुटि होने में असमर्थ नहीं है

सुधार तब तक किया जाता है जब तक कि उपचारात्मक कदम अनुचित रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं

अर्जित अधिकार।

25. अभियोग के संशोधनों पर लागू सिद्धांत लिखित बयानों के संशोधनों पर समान रूप से लागू होते हैं। द. अदालतें लिखित संशोधन की अनुमति देने में अधिक उदार हैं

पूर्वाग्रह के सवाल के रूप में बयान उस घटना में काम करने की संभावना कम है। प्रतिवादी को बचाव में वैकल्पिक याचिका दायर करने का अधिकार है, जो हालांकि, एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा दूसरे पक्ष को अन्याय के अधीन नहीं किया जाना चाहिए और वादी के पक्ष में किया गया कोई भी प्रवेश वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अभिवचनों के सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो मुकदमे में वास्तविक विवादों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण को परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं करता है जिसके आधार पर मूल लाइसेंस उठाया गया था या बचाव किया गया था। तथ्यों की स्वीकृत स्थिति या तथ्यों के पारस्परिक विनाशकारी आरोपों को नकारते हुए असंगत और विरोधाभासी आरोपों को अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्तावित संशोधन से दूसरे पक्ष के लिए ऐसा पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए जिसकी भरपाई लागत से नहीं की जा सकती है। किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो विरोधी पक्ष को प्राप्त होने वाले कानूनी अधिकार को पराजित करने के बराबर या उससे संबंधित हो। समय के अंतराल का लेखा। अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन दायर करने में देरी की भरपाई उचित रूप से लागत और त्रुटि या गलती से की जानी चाहिए, जो यदि धोखाधड़ी नहीं है, तो शिकायत या लिखित बयान के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। (दक्षिण कोंकण डिस्टिलरीज और अन्न देखें। वी. प्रभाकर गजानन नाइक और अन्य। ,

(2008) 14 एससीसी 632) 26. लेकिन निस्संदेह, संशोधन के लिए प्रत्येक मामले और प्रत्येक आवेदन का परीक्षण मामले के लागू तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। चूंकि अभिवचनों का प्रस्तावित संशोधन एक ही तथ्यों के लिए केवल एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण के बराबर है, इसलिए इस न्यायालय ने बार-बार यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि इस तरह के संशोधन की अनुमति वैधानिक सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद भी दी जाएगी।

27. इस संबंध में ए. के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी निगम, आकाशवाणी 1967 एससी 96: (1966) 1 एस. सी. आर. 796, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 7. ..... एक नया मामला या कार्रवाई का एक नया कारण विशेष रूप से जब नए मामले या कार्रवाई के कारण पर एक मुकदमा वर्जित हैः वेल्डन वी.

नील [19 क्यूबीडी 394]। लेकिन यह भी अच्छी तरह से माना जाता है कि जहां संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण को जोड़ने का गठन नहीं करता है या एक अलग मामला नहीं उठाता है, लेकिन एक ही तथ्यों के लिए एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण से अधिक नहीं है,

समाप्ति के बाद भी संशोधन की अनुमति दी जाएगी

वैधानिक सीमा अवधिः .....

28. शीर्षक में, जी नागम्मा और अन्र। वी. सिरोमानम्मा और अन्र। , (1996) 2 एस. सी. सी. 25, इस न्यायालय ने वाद के प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया और यह देखते हुए कि न तो कार्रवाई का कारण बदलेगा और न ही राहत भौतिक रूप से प्रभावित होगी, इसकी अनुमति दी। इस मामले में इस न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वादी के मुकदमे में, वादी असंगत याचिकाओं को भी दायर करने का हकदार था और वर्तमान मामले में, वादी केवल वैकल्पिक राहत की मांग कर रहे थे। यह.

ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने पुनः परिवहन समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा दायर किया था। शिकायत के संशोधन के लिए सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन द्वारा, अपीलकर्ता यह अनुरोध कर रहे थे कि बिक्री विलेख के निष्पादन के लेनदेन और

पुनः परिवहन के लिए दस्तावेज़ एकल लेनदेन थे। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। वे बंधक को भुनाने के लिए एक वैकल्पिक राहत को भी शामिल करना चाहते थे। प्रार्थना के अंत में, वादी ने मांग की

वैकल्पिक रूप से बंधक के मोचन के लिए एक डिक्री का अनुदान। इस संशोधन को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। 29. पंकज और अन्र में। वी. एलआरएस द्वारा येलप्पा (मृत)। & ओआरएस। , (2004) 6 एस. सी. सी. 415, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय के विवेकाधिकार में था

सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन की अनुमति दें।

अभियोग का संशोधन, यहां तक कि जहां संशोधन द्वारा राहत जोड़ने की मांग की गई थी, कथित रूप से सीमा द्वारा वर्जित था। न्यायालय ने देखा कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि ऐसे मामले में संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह इंगित किया गया कि इस संबंध में अदालत का विवेकाधिकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसका उपयोग न्यायिक मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए। इस निर्णय में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर विस्तार से ध्यान देना उचित होगा। इस न्यायालय द्वारा सिद्धांत इस प्रकार निर्धारित किए गए थेः

" 12. जहाँ तक अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि वे मामलों में भी संशोधन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त हैं।

जहाँ इस तरह के दाखिल करने में काफी देरी हुई है संशोधन आवेदन। इस न्यायालय के पास कई मामलों में [2022] 8 एस. सी. आर. है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन की अनुमति देने का प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है, इसलिए, यदि मामले के तथ्य अनुमति देते हैं, तो इस तरह के संशोधन आवेदन को आगे बढ़ाने में देरी और अड़चनों के बावजूद आवेदनों की अनुमति देना अदालत के लिए हमेशा खुला है।

संशोधन। 14. इस संबंध में कानून भी काफी स्पष्ट और सुसंगत है कि कोई पूर्ण नियम नहीं है कि हर मामले में एक राहत

सीमा के कारण वर्जित है एक संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में विवेकाधिकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संशोधन की अनुमति देने या न देने की अधिकारिता विवेकाधीन होने के कारण, इसका उपयोग उन तथ्यों और परिस्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए जिनमें संशोधन की मांग की गई है। यदि किसी संशोधन को मंजूरी देना वास्तव में न्याय के अंतिम उद्देश्य को कम करता है और आगे की मुकदमेबाजी से बचाता है तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। अभिवचन के संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामला उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

XXX

XXX

XXX

16. इस न्यायालय के इस दृष्टिकोण का, तब से, टी. एन. एलॉय फाउंड्री कंपनी के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पालन किया है। लिमिटेड वी. टी. एन. विद्युत बोर्ड [(2004) 3 एस. सी. सी. 392]। इसलिए, अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि इसका विरोध इस आधार पर किया जाता है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है, इसके विपरीत, आवेदन को उस विवेकाधिकार को ध्यान में रखते हुए माना जाना चाहिए जो अनुमति देने या अनुमति देने में अदालत के पास निहित है।

न्याय के हित में इस तरह के संशोधन को अस्वीकार करना।

XXX

XXX

XXX

18. हम सोचते हैं कि रागू में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग तिलक डी. जॉन मामला [(2001) 2 एस. सी. सी. 472] भारत का जीवन बीमा निगम बनाम को उचित रूप से लागू करता है।

संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इस मामले के तथ्यों के लिए। निचली अदालतें इस धारणा पर आगे बढ़ी हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा मांगा गया संशोधन वास्तव में सीमा कानून द्वारा वर्जित है और वादी द्वारा मूल वाद में मांगी गई राहत की तुलना में अलग राहत की शुरुआत के बराबर है। हम निम्न न्यायालयों से सहमत नहीं हैं कि वादी द्वारा मांगे गए संशोधन में एक अलग राहत दी गई है ताकि संशोधन के लिए प्रार्थना के अनुदान को रोका जा सके, शीर्षक के संबंध में वाद में आवश्यक तथ्यात्मक आधार पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, जो निश्चित रूप से था।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित बयान में इनकार किया गया जो एक मुकदमे में तय किया जाने वाला मुद्दा होगा। अतः तथ्यों में
इस मामले में, इस निष्कर्ष पर आना गलत होगा कि संशोधन द्वारा वादी एक अलग पेश करेगा

राहत "।

30. उपरोक्त से, इसलिए, अभिवचन के संशोधन के लिए आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने में कानून के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि अदालतें आम तौर पर, एक नियम के रूप में, संशोधन की अनुमति देने से इनकार करती हैं, यदि संशोधित दावे पर एक नया मुकदमा आवेदन दायर करने की तारीख पर सीमा द्वारा बाधित होगा। लेकिन यह एक ऐसा कारक होगा जिसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यह न्याय के हित में आवश्यक होने पर इसे आदेश देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

31. रागू थिलाक डी. जॉन बनाम। एस. रायप्पन और अन्य। , (2001) 2 एस. सी. सी. 472, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां संशोधन समय द्वारा वर्जित था या नहीं, तथ्य का एक विवादित प्रश्न था और इसलिए, संशोधन के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और उन परिस्थितियों में सीमा के मुद्दे को मुकदमे में ही एक मुद्दा बनाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले में किया गया था।

32. विश्वंभर और ओआरएस में एक निर्णय में। वी. लक्ष्मीनारायण (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & एन. आर. , (2001) 6 एस. सी. सी. 163, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

यद्यपि ठीक से किया गया संशोधन मुकदमा दायर करने की तारीख से संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन आवेदन दायर करने की तारीख से संबंधित है।

33. पुनः, विनीत कुमार बनाम में। मंगल सैन वढेरा, (1984) 3 एस. सी. सी. 352 ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 817, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि

संशोधन केवल पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को जोड़ता है, संशोधन की अनुमति वैधानिक अवधि की सीमा के बाद भी दी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभावित आदेश

34. अब हम द्वारा पारित दो आदेशों पर गौर करने के लिए आगे बढ़ते हैं न्यायालय अर्थात एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा और दूसरा अल डिवीजन बेंच द्वारा।

35. संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में विद्वान एकल न्यायाधीश। लिमिटेड & वी. भारतीय जीवन बीमा निगम, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3 , चैंबर समन की अनुमति देते हुए और वादी को अनुमति देते हुए वाद को समाप्त करते हुए, इस प्रकार देखा गयाः

" 5. यह आवेदक का मामला है जैसा कि सुश्री पांडा ने प्रस्तुत किया है। कि मुकदमा दायर करते समय, वादी ने अनुमानित मात्रा निर्धारित की गैर के कारण उन्हें नुकसान होने की संभावना है रुपये में प्रदर्शन। 1,01,00,000 / - सूट का मूल्य मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति में वृद्धि हुई। के अनुसार वादी के अनुमान के अनुसार, आज संपत्ति का मूल्य हो सकता है अनुमानित रु। 400,01,00,000 / - और अगर अदालत नहीं है विशिष्ट प्रदर्शन देने के लिए इच्छुक, फिर नुकसान गैर निष्पादन के कारण किस वादी को नुकसान होगा समझौते के तहत प्रतिवादियों द्वारा रु। 400,01,00,000 / - . इसलिए, नुकसान के लिए पहले से ही दावा है लेकिन आज वादी जो मांग कर रहे हैं वह केवल बढ़ाना है वृद्धि के लिए दायर किया जाता है और इसलिए, पूर्व-दृष्टि से वृद्धि हुई है राशि सीमा द्वारा वर्जित है। सुश्री परांजपे ने प्रस्तुत किया कि पूर्व-परीक्षण संशोधन के साथ उदार, जब पूर्व-प्रत्यक्ष दावा प्रकट होता है सीमा द्वारा वर्जित होने के लिए, अदालत को अनुमति नहीं देनी चाहिए

संशोधन।

7. जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वह रुपये का यह आंकड़ा है।

400,01,00,000 / - कल ऊपर या नीचे जा सकते हैं।

वादी केवल यह राशि होने का अनुमान लगा रहे हैं जो

वादियों के अनुसार, वह नुकसान है जो उन्हें भुगतना पड़ेगा।

क्या यह सही अनुमान है, यह केवल इस पर तय किया जा सकता है

मुकदमे का समय। यहाँ तक कि वादी के पैरा 12 में भी कहा गया है

..... नुकसान और क्षति का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने अनुमान लगाया

पर. "प्रार्थना में खंड-(बी) (वी) वादी प्रार्थना करें।

या भारत का ऐसा एफ. ई. बीमा निगम v. संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अन्य राशि जो यह माननीय न्यायालय न्यायसंगत समझे और

उचित। "इसके अलावा, अगर यह आंकड़ा रु। 1,01,00,000 / - नहीं है।

प्रस्ताव की इस सूचना में प्रार्थना के अनुसार संशोधित, प्रतिवादी करेगा हर्जाने के रूप में अधिक दावा करने के वादी के प्रयास पर आपत्ति जताते हुए कहा

वादी वाद में जो कहा गया है उससे आगे नहीं जा सकता है। देय

वादी के नियंत्रण से परे की स्थिति के लिए, इस मुकदमे में है यह लगभग 32 वर्षों तक लंबित रहा। पीड़ा की संभावनाएँ

यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है तो अधिक पूर्वाग्रह होता है। यह.

यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी को अभी भी एक-एक पैसा साबित करना होगा

नुकसान के रूप में दावा कर रहा है।

XXX

XXX

XXX

10. मान लीजिए, मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, हालांकि मुद्दे हैं

बहुत पहले बनाया गया था।

11. परिस्थितियों में, खुले अधिकारों और विवादों को बनाए रखना

प्रतिवादियों की सीमा का मुद्दा उठाने के लिए जो अदालत मुकदमे के समय निर्णय लेंगे, चैंबर समन की अनुमति है

प्रार्थना की शर्तें खंड-(ए) और तदनुसार निपटाया गया।

36. उपरोक्त आदेश की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपील में

ओ। 499 2018 का आयोजन निम्नानुसार किया गयाः

“ 4. निर्विवाद रूप से, मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। संशोधन

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ठोस रूप से अनुमति दी गई है

और ठोस कारण। केवल इसलिए कि वादी को अनुमति है वाद में संशोधन करने का यह अर्थ नहीं है कि जो दावा किया गया है

वादी द्वारा संशोधन के माध्यम से किया जाएगा न्यायालय द्वारा दिया गया। प्रतिवादी हमेशा एक फाइल कर सकते हैं

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रवेश किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त याचिका भी दायर की है

लिखित कथन ताकि अभिलेख में लाए गए आधारों को पूरा किया जा सके

संशोधन के माध्यम से।

5. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह नहीं पाते हैं कि यह उपयुक्त है।

विद्वान द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का मामला एकल न्यायाधीश। इसलिए अपील खारिज कर दी जाती है। "[2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का जीवन बीमा निगम (एसयूपीआरए)

37. अब हम जीवन के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में एक उचित विचार देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

38. इस न्यायालय के समक्ष उक्त अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.08.2014 के फैसले से उत्पन्न हुई और जिसके द्वारा डिवीजन पीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (संक्षेप में, 'एल. आई. सी.') में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे 2014 के चैंबर समन संख्या 187 में एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को 1986 के वाद संख्या 894 में वादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया था।

39. अभिवचनों से, विशेष रूप से, समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में दर्ज तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2014 में, प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात्, केडिया निर्माण

कंपनी लिमिटेड ने 2014 का चैंबर समन नंबर 187 दायर किया जिसमें कहा गया था कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से, वादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने रुपये के विचार के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को अपना ब्याज सौंपा था। 23,31,000 / - 24.08.1987 दिनांकित बिक्री के लिए एक समझौते द्वारा। कक्ष।

प्रतिवादी संख्या 3 को वादी संख्या 3 के रूप में शामिल करने के लिए समन दायर किया गया था, जिसमें उसके पक्ष में बिक्री के समझौते के अनुसार वाद में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी (एल. आई. सी.) ने इस आधार पर चैंबर समन का विरोध किया था कि प्रतिवादी संख्या 3 एक प्रामाणिक समनुदेशक या आवश्यक पक्षकार नहीं था और वाद में मुद्दे थे।

31.01.2014 पर तैयार किए गए थे और आवेदन दाखिल करने में 27 वर्षों की अत्यधिक देरी हुई थी जिसे ठीक से समझाया नहीं गया था। 40. उपरोक्त तथ्यों के समूह में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी (एल. आई. सी.) द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 11. प्रत्यर्थी 3 का रुख यह है कि वह प्रत्यर्थी 1 और 2 के अधिकारों के समनुदेशक के रूप में दावा करता है और उसे आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत मुकदमा जारी रखने का अधिकार है और सीमा के प्रावधान ऐसे आवेदन पर लागू नहीं होते हैं। इस विवाद के गुणों की सराहना करने के लिए, हम उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं

आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के लिए, जो निम्नानुसार हैः

आदेश 22-भारत के बीमा निगम के लिए पार्टियों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन v.

संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 10. मुक़दमे में अंतिम आदेश से पहले असाइनमेंट के मामले में प्रक्रिया। — (1) किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी समनुदेशन, सृजन या किसी ब्याज के हस्तांतरण के अन्य मामलों में, वाद, अदालत की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखा जा सकता है या जिस पर ऐसा ब्याज आया है या हस्तांतरित किया गया है। (2) अपील लंबित रहने तक किसी डिक्री की कुर्की को उस व्यक्ति को हकदार बनाने वाला ब्याज माना जाएगा जो

उप-नियम (1) के लाभ के लिए ऐसी संलग्नक प्राप्त की गई।

आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत, जब एक

एक मुकदमा, मुकदमा, अदालत की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखा जा सकता है या जिस पर ऐसा हित रहा है। सौंपे गए या हस्तांतरित किए गए और यह उस व्यक्ति को हकदार बनाता है जिसने

मुकदमे को जारी रखने के लिए अनुमति के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए किसी कार्य या निर्माण या ब्याज के हस्तांतरण या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा मुकदमेबाजी के विषय में हित अर्जित करना। जब वादी वाद के लंबित रहने के दौरान वाद को सौंपता/स्थानांतरित करता है, तो समनुदेशिती को अभिलेख पर लाने और वाद जारी रखने का अधिकार होता है। आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. केवल अदालत की अनुमति से मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देता है। यह तय करना अदालत का कर्तव्य है कि मुकदमे को जारी रखने के लिए व्यक्ति या समनुदेशिती को अनुमति दी जानी थी या नहीं। मुकदमा जारी रखने के लिए आवेदन करने वाले पक्षों को शामिल करने या न करने के विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

विवेकपूर्ण और मनमाने ढंग से नहीं।

12. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि समझौते का केवल कथित हस्तांतरण/समनुदेशन प्रतिवादी 3 को वाद जारी रखने के लिए अनुमति देने के लिए पर्याप्त होगा। इन से

1986 में मुकदमा दायर करना, वर्षों से, अपीलार्थी को अर्जित रक्षा का मूल्यवान अधिकार; रक्षा के ऐसे मूल्यवान अधिकार को तीसरे को अनुमति देकर पराजित नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी मुकदमा दायर करने के 27 वर्षों के बाद आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन में मुकदमा जारी रखे। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं था कि भ्रामक प्रतिवादी 3 वादी 3 के रूप में अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा और मुकदमे के समय मुद्दों को उठाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में, के लिए आवेदन

अभिवचन उचित समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड v. विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद एक विशिष्ट कार्य निष्पादन के मुकदमे में पक्षकार को शामिल करने के प्रश्न पर विचार करना। तोश अपार्टमेंट (पी) डी। [विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड v. तोश अपार्टमेंट (पी) डी। , (2012) 8 एससीसी 384: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1] न्यायालय ने सिद्धांतों को निम्नानुसार संशोधित कियाः (एस. सी. सी पी. 413, पैरा 41)

" 41. यद्यपि उपरोक्त कुछ निर्णयों में की गई टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास है,

ऐसे सिद्धांत जो किसी आवेदन के निपटारे को नियंत्रित करते हैं

प्रलोभन के लिए हैंः

41.1 . अदालत, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, या तो पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दे सकती है, जिसे

वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया या जिसकी उपस्थिति

अदालत के समक्ष प्रभावी और पूर्ण होने के लिए आवश्यक है

मुकदमे में शामिल मुद्दों का निर्णय।

41.2 . एक आवश्यक पक्ष वह व्यक्ति है जिसे मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी पक्ष होना चाहिए।

आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।

41.3 . एक उचित पक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति अदालत को सभी मामलों और मुद्दों पर पूरी तरह से, प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके पक्ष में या जिसके खिलाफ एक डिक्री होनी है।

बनाया गया।

41.4 . यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय के पास उसे आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

वादी की इच्छाओं के विरुद्ध अभियोग। 41.5 . विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में, अदालत एक ऐसे खरीदार को पक्षकार बनाने का आदेश दे सकती है जिसका आचरण बोर्ड से ऊपर है, और जो पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन दायर करता है।

उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय

लंबित मुकदमेबाजी।

41.6 . हालाँकि, यदि आवेदक दूषित करने का दोषी है

भारत के गुप्त लेन-देन या एफ. ई. बीमा निगम का संचालन या लाभार्थी है।

संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अदालत द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करते हुए मुकदमे की संपत्ति के मालिक द्वारा किया गया लेन-देन या आवेदन में अनुचित देरी होती है तो अदालत अभियोग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने में पूरी तरह से उचित होगी।

उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हाथ में मामले पर विचार करते हुए, हमारे विचार में, प्रतिवादी 3 को वादी 3 के रूप में आरोपित करने के लिए दायर आवेदन उचित समय के भीतर दायर नहीं किया गया था। 27 वर्षों की इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था।

14. यह ध्यान दिया जाए कि नियुक्तकर्ता/तीसरे प्रतिवादी द्वारा मुकदमे को जारी रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन वास्तव में दायर नहीं किया गया था। 2014 का चैंबर समन नंबर 187 सीधे दायर किया गया था जिसमें मुकदमे में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था जो परिणामी होता। संशोधन, मुकदमा जारी रखने की अनुमति अदालत द्वारा दी गई थी।

15. जैसा कि पहले बताया गया है, मुकदमा दायर करने के 27 साल बाद आवेदन दायर किया गया था। बेशक, मुकदमे में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति व्यापक है और अदालत को अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। संशोधन पर विचार करते हुए

आवेदन, अदालत को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और

अनेकता से बचने के लिए संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए

मुकदमेबाजी। हम इस बात से अवगत हैं कि संशोधन को अस्वीकार करने के लिए केवल देरी कोई आधार नहीं है। लेकिन हाथ में मामले में, पक्ष देहाती वादी नहीं हैं; सभी उत्तरदाता कंपनियां हैं और पक्षों के बीच विवाद एक वाणिज्यिक मुकदमा है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत दायर चैंबर समन में अनुरोध किए गए संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह अपीलार्थी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। हमारे विचार में, मुकदमे के 27 वर्षों के बाद दायर 2014 के चैंबर समन संख्या 187 को अनुमति देने वाला विवादित आदेश अपीलार्थी को अर्जित रक्षा के पर्याप्त अधिकारों को छीन लेगा और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

16. परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय [एल. आई. सी. बनाम। संजीव बिल्डर्स (पी) लिमिटेड, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 4811] को दरकिनार कर दिया गया है और अपील की अनुमति दी गई है। 1986 के वाद सं. 894 में 2014 का चैंबर समन सं. 187 खारिज कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

के रूप में वादी संख्या 3 अपीलार्थी के लिए एक गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस न्यायालय का विचार था कि सत्ताईस वर्षों की अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने कहा कि केवल देरी संशोधन को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगी। हालाँकि, मामले के तथ्यों में, चूंकि पक्ष देहाती वादी नहीं हैं और उसमें सभी प्रतिवादी कंपनी हैं और विवाद एक वाणिज्यिक मुकदमा है, इसलिए मुकदमे के सत्ताईस साल बाद संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि यह

अपीलार्थी (एल. आई. सी.) के पक्ष में उपार्जित प्रतिरक्षा के पर्याप्त अधिकारों को छीन लेगा।

42. हमारा विचार है कि जीवन बीमा निगम में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश

जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, भारत (उपरोक्त) के पास कोई आवेदन नहीं है। इसमें अपीलार्थी केवल भारतीय जीवन बीमा निगम (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के बल पर वर्तमान अपील में सफल नहीं हो सकता है।

सी. पी. सी. का आदेश II नियम 2

43. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि संशोधन आवेदन सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के सिद्धांत को लागू करते हुए निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

44. उक्त प्रावधान नीचे दिया गया हैः

" सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश II नियम 2:

2. पूरा दावा शामिल करने के लिए सूट। - (1) प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा शामिल होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है, लेकिन एक वादी मुकदमे को कानून के दायरे में लाने के लिए अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ सकता है।

किसी भी न्यायालय की अधिकारिता।

(2) दावे के हिस्से का त्याग। - जहां कोई वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करने से चूक जाता है, या जानबूझकर त्याग देता है, तो वह बाद में मामले के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।

इस प्रकार छोड़ा गया या त्याग दिया गया भाग।

भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(3) कई राहतों में से एक के लिए मुकदमा करने में चूक। - एक हकदार व्यक्ति

कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत के लिए सभी या ऐसी किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है; लेकिन यदि वह अदालत की अनुमति के अलावा, ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करने में चूक करता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण। - इस नियम के प्रयोजनों के लिए इसके निष्पादन के लिए एक दायित्व और एक संपार्श्विक प्रतिभूति और एक ही दायित्व के तहत उत्पन्न होने वाले क्रमिक दावों को क्रमशः कार्रवाई का एक कारण माना जाएगा।

चित्रण

ए बी को रुपये के वार्षिक किराए पर एक घर देता है। 1200. के लिए किराया

पूरे वर्ष 1905,1906 और 1907 देय हैं और

अवैतनिक। ए 1908 में बी पर केवल 1906 के लिए देय किराए के लिए मुकदमा करता है। ए बाद में 1905 या 1907 के लिए देय किराए के लिए बी पर मुकदमा नहीं करेगा।

45. अभिव्यक्ति "मुकदमा करने के लिए छोड़ देता है" और "जानबूझकर अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ देता है" के इरादे के रूप में एक संकेत देता है

उक्त नियम तैयार करने में विधायिका। 'मुकदमा' शब्द का अर्थ प्रावधान के संदर्भ के आधार पर मुकदमा दायर करना और मुकदमे को उसकी परिणति तक चलाना दोनों हो सकता है। वर्तमान मामले में, विधायिका ने किसी भी राहत के लिए बाद में मुकदमा करने से वादी को प्रतिबंधित करना उचित समझा, जिसे उसने अदालत की अनुमति के बिना या इसके संबंध में मुकदमा करने से छोड़ दिया है।

नियम 2 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक वाद में पूरा दावा शामिल होगा। जिसे वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है।

46. सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के प्रावधान पर प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहम्मद के मामले में अच्छी तरह से चर्चा की गई है। खलील खान और ओआरएस। वी. महबूब अली मियां और अन्य। , ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 78, निम्नानुसार आयोजितः

" अब तक जिन मामलों पर चर्चा की गई है, उनमें निर्धारित सिद्धांत

संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः

(1.) या के अंतर्गत आने वाले मामलों में सही परीक्षण। 2 , आर. 2 , यह है कि क्या नए मुकदमे में दावा, वास्तव में, किसी कारण पर आधारित है उस कार्य से अलग जो आधार था

पूर्व सूट "। (मूनशी बुजलूर रुहीम बनाम। शुमसून्निसा बेगम।) (2.) कार्रवाई के कारण का अर्थ है हर वह तथ्य जो वादी के लिए साबित करने के लिए आवश्यक होगा, यदि पार किया जाता है, तो क्रम में

निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए। (वी पढ़ें। ब्राउन.) (3.) अगर [2022] 8 एस. सी. आर

दोनों दावों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य अलग-अलग हैं, तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं। (ब्रन्सडेन बनाम। हम्फ्री।) (4.) दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारणों को समान माना जा सकता है यदि वे सार में समान हैं। (ब्रन्सडेन बनाम। हम्फ्री।) (5.) कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए गए बचाव से कोई संबंध नहीं है, और न ही यह प्रतिवादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है।

वादी। यह उस मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है। (मुस। चांद कौर बनाम। प्रताप सिंह)। यह अवलोकन किया गया था

एस के तहत एक मामले में लॉर्ड वॉटसन। 43 1882 का अधिनियम

(या के अनुरूप। 2, आर। 2), जहाँ वादी ने अलग-अलग किया

एक ही मुकदमे में दावा।

47. उपेंद्र नारायण राय बनाम। राय जनोकी नाथ रॉय, ए. आई. आर. 1919 04, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के लिए एक अवसर था

इस सवाल का जवाब दें। वुडरोफ, जे. ने देखा हैः

" ..... जहाँ तक दूसरे बिंदु का संबंध है, इसमें पदार्थ की तुलना में अधिक सरलता है। यह इस गलत धारणा पर आगे बढ़ता है कि संशोधन ओर द्वारा निषिद्ध किया गया था। II, आर। 2. यह नियम हमारे सामने के मामले को नहीं छूता है। यह एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जिसमें एक दावा किया गया है जिसमें एक चूक हुई है, एक दावे के हिस्से के संबंध में मुकदमा करने के लिए, और उस मुकदमे में एक डिक्री दी गई है। उस मामले में इस प्रकार हटाए गए हिस्से के संबंध में दूसरा मुकदमा वर्जित है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में

मामला मुकदमे की सुनवाई नहीं की गई है लेकिन एक दावे को छोड़ दिया गया है, यह कहा जाता है, अनजाने में। यह अभिनिर्धारित करना कि ऐसे मामले में संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, कुछ ऐसा अभिनिर्धारित करना होगा जो नियम में नहीं कहा गया है और जो बेतुका होगा। नियम कहता है कि "वह बाद में मुकदमा नहीं करेगा", यानी, यह मानता है कि एक निर्णय के लिए एक मुकदमा किया गया है, और एक उप अनुक्रमिक मुकदमा है। यह संशोधन पर लागू नहीं होता है जहां

केवल एक सूट था। चूँकि वादी को अपने वाद के समापन से पहले संशोधन के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पबना वाद में प्रत्यर्थी के कोई भी अधिकार प्रभावित हुए हैं। इस तरह का तर्क इस गलत धारणा पर आधारित है कि कलकत्ता वाद के संशोधन के माध्यम से इस आपत्ति को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है कि पिछले बंधक या शुल्क पर दावे टिकाऊ नहीं थे।

भारत के बीमा निगम का एक मामला v. संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

या के भीतर आ जाएगा। II, आर। 2 , केवल तभी जब कोई वादी आवेदन करने में विफल रहता है

डिक्री से पहले संशोधन के लिए, और फिर एक और मुकदमा लाता है।

वादी ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। एकमात्र सूट जो वे लाए हैं। अतएवं यह

ऐसा मामला नहीं जिसमें संशोधन या तो अधिकारों को प्रभावित करता है

अन्य पक्ष, या अन्यथा उसे पूर्वाग्रहित करता है।

(जोर दिया गया)

48. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, दायरे पर विचार करते हुए और

गुरबक्स एच. वी. के मामले में सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 की व्यवहार्यता। भुरालाल, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1810, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित हैः

" 6. आदेश 2 नियम 2 (3) के तहत एक बार की याचिका

याचिका में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि (i) दूसरा मुकदमा इस मामले में था। कार्रवाई के उसी कारण का सम्मान जिस पर

पिछला वाद आधारित था; (2) कि उस कारण के संबंध में -

कार्रवाई वादी एक से अधिक राहत का हकदार था; (3)

कि इस प्रकार वादी एक से अधिक राहत का हकदार है,

अदालत से प्राप्त अनुमति के बिना मुकदमा करने के लिए छोड़ दिया गया

राहत जिसके लिए दूसरा मुकदमा दायर किया गया था। इसी से विश्लेषण यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी को करना होगा

मुख्य रूप से और शुरुआत में, कार्रवाई का सटीक कारण निर्धारित करें

जिस पर पिछला मुकदमा दायर किया गया था, जब तक कि

कार्रवाई के कारण के बीच की पहचान जिस पर पहले मुकदमा दायर किया गया था दाखिल किया गया था और जिस पर बाद के मुकदमे में दावा आधारित है

बार के आवेदन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। नहीं।

इसका अर्थ है, सार्वभौमिक नियम होना। चूँकि याचिका एक तकनीकी बाधा है इसे संतोषजनक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है

केवल अनुमानित तर्क के आधार पर। यही कारण है कि

कि हम मानते हैं कि के आदेश 2 नियम 2 के तहत एक बार की याचिका

सिविल प्रक्रिया संहिता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब

प्रतिवादी साक्ष्य में पिछले मुकदमे में अभिवचन दाखिल करता है

और इस प्रकार न्यायालय को कारण की पहचान साबित करता है

दोनों सूट में कार्रवाई। यह आम आधार है कि दलीलें 1950 का सी. एस. 28 अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में दायर नहीं किया गया था।

आदेश 2 नियम 2 के तहत अपनी याचिका के समर्थन में सबूत के रूप में मुकदमा

सिविल प्रक्रिया संहिता। विद्वत विचारण न्यायाधीश, तथापि, [2022] 8 एस. सी. आर.

इन अभिवचनों के अभिलेख पर होने के बिना यह अनुमान लगाया गया कि कार्रवाई का कारण क्या होना चाहिए था

वाद में निहित पिछले वाद के रूप में कटौती। अपील के चरण में विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी के मामले में इस कमी को देखा और बताया,

हमारी राय में, ठीक है कि पिछले मुकदमे में शिकायत के रिकॉर्ड में होने के बिना, आदेश 2 नियम के तहत एक बार की याचिका

2 सिविल प्रक्रिया संहिता बनाए रखने योग्य नहीं थी "। 49. जहां तक गुरबक्स सिंह (उपरोक्त) का संबंध है, हम स्पष्ट कर सकते हैं।

कि इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले में पूरा विचार इस तथ्य पर था कि वादी द्वारा उसमें एक दावे का त्याग किया गया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा जिस प्रासंगिक बिंदु पर विचार किया गया था वह यह था कि राहत समय से बाधित हो गई थी। उक्त निर्णय का अनुपात यह है कि सीमा द्वारा बाधित राहत के कारण, सी. पी. सी. का आदेश II नियम 2 केवल एक सहायक के रूप में आया। हालाँकि, गुरबक्स सिंह (ऊपर) यह स्पष्ट करते हैं कि सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 का बार केवल बाद के नियमों पर लागू होता है।

अपीलार्थी की ओर से इस तर्क में योग्यता है कि संशोधन आवेदन सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध लागू करके खारिज किया जा सकता है। सी. पी. सी. का आदेश II नियम 2 उस संशोधन पर लागू नहीं हो सकता है जो किसी मौजूदा मुकदमे पर मांगा गया है। 51. उपरोक्त संदर्भ में, हम वैशाली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुमोदन के साथ उल्लेख कर सकते हैं।

सहकारी आदर्श बैंक लिमिटेड बनाम गीतांजलि देशपांडे और अन्य। , (2003) 102 डीएलटी 570। अनुच्छेद 17 और 18 के जवाब से संकेत मिलता है कि सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध केवल बाद के मुकदमे के लिए है। ये पैरास निम्नानुसार हैं:

“ 17. संशोधन के लिए आवेदन की स्थिरता के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर लौटते हुए, प्रस्तावित संशोधन को आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के तहत प्रतिबंधित किए जाने की एक विचित्र याचिका सामने आएगी। आदेश II नियम 2 के तहत अधिनियमित सामान्य नियम।

(1) सी. पी. सी. भारत का एफ. ई. बीमा निगम v है। संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

प्रत्येक वाद में पूरा दावा शामिल होना चाहिए जो -

वादी को कार्रवाई के कारण के संबंध में बताने का अधिकार है।

आदेश II नियम 2. (2) किसी भी भाग पर बाद के मुक़दमे को रोकता है

दावा, जिसे हटा दिया गया था या जानबूझकर त्याग दिया गया था उसी कारण के आधार पर पहले के मुकदमे में वादी द्वारा

कार्रवाई। इसी तरह, जहां वादी इससे अधिक का हकदार है कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक राहत लेकिन छोड़ दिया,

अदालत की अनुमति के अलावा, ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करना, उसे आदेश II नियम 2 (3) सी. पी. सी. को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है।

इस प्रकार छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए बाद में मुकदमा करना।

18. आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के तहत बार की याचिका बनाए रखने योग्य है।

केवल तभी जब प्रतिवादी (i) यह बताता है कि कार्रवाई का कारण

एक से अधिक राहत का हकदार था और (iii) कि वादी अदालत से प्राप्त अनुमति के बिना पहले मुकदमा करने के लिए छोड़ दिया गया

उस राहत के लिए जिसके लिए दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। ("गुरबक्स" देखें

सिंह बनाम। भुरालाल ", ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1810)। स्पष्ट रूप से, आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. स्थिति में दूसरे मुकदमे को प्रतिबंधित करने वाला नियम लागू करता है।

ऊपर बताया गया है। पूर्व में कार्रवाई के कारण की पहचान

आदेश II नियम 2 के तहत सी. पी. सी. काम करने के लिए तैयार है। अतः जहाँ दूसरे मुकदमे में दावा या राहत एक विशिष्ट कारण पर आधारित हैं।

कार्रवाई के लिए, आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. बाद के आदेश के खिलाफ एक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है।

यदि उसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें हैं संतुष्ट और अभिवचनों के संशोधन का क्षेत्र बहुत दूर है

अपने दायरे से परे। संशोधन की याचिका पर रोक लगाई जा रही है

आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के तहत, इस प्रकार, गलत धारणा है और इसलिए

नकारात्मक।

(जोर दिया गया)

52. हम भी अपनी ओर से उठाए गए तर्क से प्रभावित नहीं हैं।

ई एतऽ अपीलकर्ता जे संशोधन आवेदन रचनात्मक न्यायनिर्णायक सिद्धांत द्वारा प्रभावित अछि। रचनात्मक रेस का सिद्धांततत्काल मामले में ए. टी. ए. का कोई आवेदन नहीं है, क्योंकि पूर्ण सुनवाई के बाद पक्षों के बीच कोई औपचारिक लाइसेंस नहीं था। न्यायालय के समक्ष मुकदमा उस स्तर पर सामने आया है जब निचली अदालतों ने अनुमति दी है

[2022] 8 एस. सी. आर. के लिए राशि बढ़ाने के उद्देश्य से शिकायत का निपटान।

विशिष्ट प्रदर्शन के मुख्य राहत के विकल्प में ges

ऑनट्रैक्ट।

विशेष धर्म अधिनियम, 1963

53. उपरोक्त हमें अब धारा के परंतुक पर विचार करने के लिए ले जाता है

और अधिनियम 1963 की धारा 22 (2)।

54. 1963 के अधिनियम में यह विचार किया गया है कि निष्पादन के लिए देय राशि के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन में, एक वादी मुआवजे का दावा करने का हकदार है।

अधिनियम 1963 की धारा 21 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 21. कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति देने की शक्ति। - (1) एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, वादी

इसके उल्लंघन के लिए मुआवजे का भी दावा कर सकते हैं [इसके अलावा]

इस तरह का प्रदर्शन।

(2) यदि, ऐसे किसी मुकदमे में, न्यायालय निर्णय लेता है कि विशिष्ट निष्पादन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यह कि एक

पक्षकारों के बीच अनुबंध जो प्रतिवादी द्वारा तोड़ा गया है, और वादी मुआवजे का हकदार है

उस उल्लंघन के लिए, उसे ऐसा मुआवजा दिया जाएगा।

तदनुसार।

(3) यदि, ऐसे किसी वाद में, न्यायालय निर्णय लेता है कि विशिष्ट निष्पादन दिया जाना चाहिए, लेकिन यह मामले के न्याय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अनुबंध के उल्लंघन के लिए कुछ मुआवजा भी वादी को दिया जाना चाहिए,

यह उसे तदनुसार ऐसा मुआवजा प्रदान करेगा।

(4) किसी भी मुआवजे की राशि निर्धारित करने में

इस धारा के तहत न्यायालय को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

1872 (9 1872)।

(5) इस धारा के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

जब तक कि वादी ने इस तरह के मुआवजे का दावा नहीं किया है

अभियोगः

बशर्ते कि जहां वादी ने वाद में ऐसे किसी मुआवजे का दावा नहीं किया है, वहां अदालत, कार्यवाही के किसी भी चरण में, उसे ऐसे मुआवजे के दावे को शामिल करने के लिए ऐसी शर्तों पर वाद में संशोधन करने की अनुमति देगी जो उचित हों।

भारत का जीवन बीमा निगम v. संजीव

बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

स्पष्टीकरण। अनुबंध की परिस्थितियाँ

विशिष्ट प्रदर्शन में असमर्थ होना बाधा नहीं देता है

न्यायालय द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करने से

अनुभाग "।

55. धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत, अदालत को उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का अधिकार है जहां उसका मानना है कि कोई अनुबंध है। पक्षकारों के बीच जो प्रतिवादी द्वारा तोड़ा गया था लेकिन घटना में, यह निर्णय लेता है कि विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। धारा 21 की उप-धारा (3) न्यायालय को विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री के अलावा उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का अधिकार देती है, जहां यह विचार है कि केवल विशिष्ट निष्पादन मामले के न्याय को संतुष्ट नहीं करेगा। हालांकि, उप-धारा (5) में कहा गया है कि इस धारा के तहत तब तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता जब तक कि वादी ने इस तरह के मुआवजे का दावा नहीं किया हो।

शिकायत। यह प्रावधान अनिवार्य है।

56. धारा 21 की उप-धारा (5) का परंतुक उस वादी को अनुमति देकर मुख्य प्रावधान की कठोरता को कम करता है जिसने ऐसा दावा नहीं किया है।

के किसी भी स्तर पर वाद में संशोधन करने के लिए वाद में क्षतिपूर्ति

कार्यवाहियां और न्यायालय, यह प्रावधान किया गया है, प्रोंग के किसी भी स्तर पर ऐसे दावे को शामिल करने के लिए एक संशोधन की अनुमति देगा।

ऐसी शर्तों पर मुआवजा जो उचित हो। शम्सु सुहारा बीवी में

वी. जी. एलेक्स और एनर। , (2004) 8 उदाहरण के लिए, एस. सी. सी. 569, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने धारा 21 के तहत क्षतिपूर्ति देने में गलती की, इसके अलावा विशिष्ट निष्पादन की राहत के लिए या तो मूल रूप से दायर किए गए वाद में या कार्यवाही के किसी भी चरण में संशोधित किए गए अनुरोध के अभाव में।

57. अधिनियम 1963 की धारा 22 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“ 22. अधिकार, विभाजन, धनवापसी के लिए राहत देने की शक्ति

अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अनुबंध, एक में उचित मामला, माँगें

(क) संपत्ति का कब्जा, या विभाजन और अलग कब्जा, इस तरह के प्रदर्शन के अलावा;

या

कोई अन्य राहत जिसका वह हकदार हो,

(ख)

किसी भी बकाया राशि या [2022] 8 एस. सी. आर. की वापसी सहित।

उसके दावे के मामले में उसके द्वारा भुगतान की गई या (की गई) जमा राशि

विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत कोई राहत न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यह विशेष रूप से नहीं दी गई हो। दावा कियाः

बशर्ते कि जहां वादी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है

वाद में राहत, न्यायालय, के किसी भी स्तर पर

कार्यवाही करते हुए, उसे ऐसी शर्तों पर वाद में संशोधन करने की अनुमति दें जैसे कि

यह केवल इस तरह की राहत के दावे को शामिल करने के लिए हो सकता है।

(3) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत राहत देने की न्यायालय की शक्ति उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी -

धारा 21 के तहत मुआवजा प्रदान करना।

58. धारा 22 में एक गैर-अबाधित प्रावधान है जो सी. पी. सी. को ओवरराइड करता है। एक वादी जो अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का दावा करता है

विशेष रूप से दावा किया गया। हालांकि, परंतुक के लिए आवश्यक है कि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति देगी ऐसी राहत का दावा करें जहां मूल रूप से ऐसी शर्तों पर इसका दावा नहीं किया गया है जो उचित प्रतीत हो।

विशेष विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2018

59. अधिनियम 1963 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था और मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में "या तो इसके अतिरिक्त, या इसके प्रतिस्थापन में" शब्दों को हटा दिया गया था और उनके स्थान पर "इसके अतिरिक्त" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था। नतीजतन, नुकसान अब केवल विशिष्ट प्रदर्शन के अलावा उपलब्ध हैं और इसके बदले में नहीं। यह अधिनियम 1963 के अन्य संशोधनों का एक परिणाम है जिसके तहत संशोधन अधिनियम ने मूल अधिनियम की धारा 10 और 20 के जवाब को प्रतिस्थापित करके अदालतों के विवेक को समाप्त कर दिया है। 60. अधिनियम 1963 के उपरोक्त प्रावधानों पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कहानी डेवलपर्स प्राइवेट के मामले में विधिवत विचार किया गया था। लि.

एफ. ई. भारत का बीमा निगम v. संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ई बेंच, बहुत स्पष्ट रूप से और सबसे पांडित्यपूर्ण तरीके से समझाया गया है :

" 9. धारा 21 की उप-धारा (5) और धारा की उप-धारा (2) के लिए परंतुक प्रस्तुत करने में विधानमंडल का उद्देश्य

22 कार्यवाही की बहुलता को रोकना था। बाबू में

लाल वी. हजारी लाल, (1982) 1 एस. सी. सी. 525: ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 818

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने "काफी कुछ दिया है

न्यायालय को किसी भी समय वाद के संशोधन की अनुमति देने की शक्ति

स्टेज "। (पैरा 20 पृष्ठ 825 पर)। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें निष्पादन का चरण भी शामिल होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि केवल बिक्री के लिए अनुबंध या उस मामले के लिए,

विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री शीर्षक प्रदान नहीं करती है

खरीदार और वह शीर्षक केवल निष्पादन पर पारित होगा डिक्री। सीमा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, सर्वोच्च

न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" अगर एक बार हम कानूनी स्थिति को स्वीकार करते हैं कि न तो एक अनुबंध

बिक्री के लिए और न ही उस आधार पर पारित कोई डिक्री

अनुबंध का निष्पादन डिक्री धारक को कोई अधिकार या अधिकार देता है और अधिकार और अधिकार उसे केवल निर्णय देनदार द्वारा या स्वयं न्यायालय द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन पर पारित किया जाता है, यदि वह बिक्री विलेख को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो यह तर्क देना व्यर्थ है कि एक मूल्यवान अधिकार केवल एक डिक्री के कारण याचिकाकर्ता को अर्जित किया गया था।

के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पारित किया गया है

के संबंध में बिक्री प्राप्त करने के बाद ही धारक विवादित संपत्ति। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि निर्णय को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ था-ऋणी

समय के अंतराल पर। धारा 22 केवल उन कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के उद्देश्य से अधिनियमित की गई है जो -

कानूनी अदालतें हमेशा घृणा करती हैं। (पैरा 21 पृष्ठ 825 पर)

10. बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था।

जगदीश सिंह बनाम में निर्णय। नट्टू सिंह (1992) 1 एस. सी. सी.

647 ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1604:

" जहाँ तक उप-धारा (5) के परंतुक का संबंध है, दो

पदों को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन के बदले में मुआवजे की राहत से संबंधित है

या विशिष्ट निष्पादन के अलावा जहां वादी ने विशिष्ट निष्पादन की अपनी राहत को नहीं छोड़ा है, न्यायालय किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति देगा।

आगे बढ़ रहे हैं। वह मुआवजे के लिए एक दावा है जो इसके तहत आता है

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 21 और

उप-धारा (5) के परंतुक के तहत संशोधन किया जाता है। लेकिन अलग और कम उदार मानक लागू होते हैं यदि क्या है

संशोधन द्वारा मांग की गई है कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे को उल्लंघन के लिए हर्जाने के लिए एक में परिवर्तित किया जाए

जिस मामले में अनुबंध अधिनियम की धारा 73 लागू की जाती है। यह संशोधन आर. 17 के अनुशासन के तहत है, 0.6 , सी. पी. सी. तथ्य यह है कि उप-धारा (4) बदले में, आह्वान करती है

के सिद्धांतों के लिए अनुबंध अधिनियम की धारा 73 मुआवजे की मात्रा और मूल्यांकन इस अंतर को मिटाता नहीं है। (पैरा 10 पृष्ठ 1608 पर)

शम्सु सुहारा बीवी (ऊपर) में निर्णय में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन की राहत के अलावा, धारा 21 के तहत मुआवजा देने में गलती की थी उस आशय के अनुरोध के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुआवजे की राहत को शामिल करने के लिए या तो वाद में या कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में वाद में संशोधन करके उस आशय का अनुरोध किया जा सकता था।

एक विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के अतिरिक्त। हालाँकि, उस मामले में वाद में कभी संशोधन नहीं किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना गया था। इन सिद्धांतों को मनोहर धुंडीराज जोशी बनाम में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में भी देखा गया है। झुन्नूलाल हरिराम यादो, 1983 Mh.L.J. 369.

11. चूंकि न्यायालय को सूचित किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है

हरिनारायण जी. बजाज (ऊपर), हम उस निर्णय की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, हमारा विचार है कि चूंकि विधायिका ने विचार किया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 21 (5) और धारा 22 (2) के प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक संशोधन कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है, इसलिए इस तरह के संशोधन को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा।

यहां तक कि भारत के प्रथम एफ. ई. बीमा निगम के रूप में भी। संजीवएल. डी. ई. आर. एस. प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सिद्धांत रूप में, संशोधन के लिए एक आवेदन को अलग किया जाना चाहिए

कार्रवाई के कारण से जिसे स्थापित करने की मांग की गई है

संशोधन। सामान्य सिद्धांत के रूप में, हालांकि एक संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति है, प्रश्न के रूप में

क्या कार्रवाई का कारण सीमा के भीतर है

निर्धारित किया जाए और निर्णय लिया जाए। अनुमति देते हुए

संशोधन, यह हमेशा एक दीवानी न्यायालय को निर्देश देने के लिए खुला है कि

संशोधन की संस्था से संबंधित नहीं होगा

आगे बढ़ रहे हैं। अतः न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि

मुकदमा चलाएँ कि क्या कार्रवाई का कारण सीमा के भीतर है या है

प्रतिबंध लगा दिया। जहाँ विधायिका ने विचार किया है कि शिकायत कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्धारित के अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

उन प्रावधानों द्वारा अनुध्यात प्रकृति का संशोधन वास्तव में कार्यवाही के किसी भी चरण में लाया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

61. बी. के. नारायण पिल्लई बनाम के मामले में परमेश्वरन पिल्लई

आर. , (2000) 1 एस. सी. सी. 712 ए. के. गुप्ता (ऊपर) के मामलों पर निर्भर करता है।

गणेश ट्रेडिंग कं. (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को संशोधन के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल तभी जब

पक्ष ने समय बीतने के कारण कोई कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया था, संशोधन

डी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

" ..... अभिवचन के सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो

वास्तविक विवादों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं

वाद बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन में कोई परिवर्तन न हो या कार्रवाई के एक नए कारण को प्रतिस्थापित करें जिसके आधार पर

स्वीकार की गई स्थिति को नकारते हुए विरोधाभासी आरोप तथ्यों या तथ्यों के पारस्परिक रूप से विनाशकारी आरोपों को

संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

दलीलें। प्रस्तावित संशोधन से ऐसा नहीं होना चाहिए

दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है

लागतें। किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो या इसके परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष को प्राप्त होने वाले कानूनी अधिकार को पराजित किया जा सकता है

समय के अंतराल के कारण। याचिका दायर करने में देरी

अभिवचनों के संशोधन के लिए उचित होना चाहिए

लागत और त्रुटि या गलती से क्षतिपूर्ति की गई जो, यदि नहीं

धोखाधड़ी, अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए

शिकायत या लिखित बयान के संशोधन के लिए आवेदन।

62. जगदीश सिंह बनाम। नट्टू सिंह, (1992) 1 एस. सी. सी. 647 में रिपोर्ट किया गयाः ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1604, इस न्यायालय को इस मामले से निपटने का अवसर मिला था

क्योंकि यह अधिनियम 1963 की धारा 21 के तहत आने वाले मुआवजे का दावा है और संशोधन धारा 21 की उप-धारा (5) के परंतुक के तहत एक है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह कहते हुए सावधानी का एक नोट जारी किया कि अलग और कम उदार मानक लागू होंगे यदि संशोधन द्वारा जो मांगा गया है वह विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे को अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के लिए एक में परिवर्तित करना है, जिस मामले में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 लागू की जाएगी, और फिर उक्त संशोधन सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के अनुशासन के तहत होगा। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जब वादी ने अपने विकल्प से विशिष्ट प्रदर्शन को असंभव बना दिया था तो धारा 21 का अधिकार नहीं है उसे नुकसान की माँग करने के लिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय कानून में जब अनुबंध, वादी की बिना किसी गलती के, निष्पादन के लिए असंभव हो जाता है, तो धारा 21 विशिष्ट निष्पादन के बदले में मुआवजे के पुरस्कार और प्रतिस्थापन को सक्षम बनाती है।

63. इसलिए, अधिनियम 1963 की धारा 21 के दायरे और दायरे के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट है और इसके अनुपात से अधिक बनाई गई है -

इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय। 64. मूल वाद में वादी ने बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री के अलावा मुआवजे का दावा किया।

इसलिए, अधिनियम 1963 की धारा 21 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं हैं। वाद के संशोधन की मांग में वादी का इरादा मूल वाद में मूल रूप से दावा की गई मुआवजे की राशि की तुलना में अधिक राशि प्राप्त करना प्रतीत होता है, जो केवल एक लाख रुपये तक सीमित थी। 1,01,00,000 / - . उपरोक्त इरादा तब स्पष्ट हो जाता है जब संशोधन के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन में किए गए कथनों पर विचार किया जाता है क्योंकि वादी ने कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 30 वर्षों में वाद संपत्ति के मूल्य में जबरदस्त वृद्धि हुई थी जिसका अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए मांगी गई क्षति, मुआवजे, राहत की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वादी के अनुसार मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

जिज्ञासु। तर्क यह है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किए गए मुकदमे में वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति देने की अदालत की शक्ति अधिनियम, 1963 की धारा 21 और 22 के जवाब और इसके प्रावधान से प्रवाहित होती है अधिनियम 1963 की धारा 21 की उप-धारा (5) वादी को वाद में संशोधन करने का अधिकार दे सकती है, बशर्ते कि वादी ने अनजाने में या अन्यथा मुआवजे के लिए प्रार्थना करने में चूक की हो। तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि वर्तमान मामले में, जैसा कि वादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया था

वाद में क्षतिपूर्ति, बाद में यदि वह राहत के उस हिस्से में संशोधन करना चाहता है, तो अधिनियम 1963 की धारा 21 की उप-धारा (5) अदालत के लिए ऐसा करने पर प्रतिबंध होगी। हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

66. ऊपर उल्लिखित दो परंतुक, वादी को अपनी शिकायत में संशोधन करने की अनुमति देने के प्रश्न से संबंधित हैं। यह, मानो, इन दो प्रावधानों के अभाव में, वादी के लिए कानूनी रूप से अनुमति नहीं है बढ़े हुए मुआवजे के लिए राहत पेश करके अपने अभिवचन में संशोधन करें। सी. पी. सी. के आदेश VI का नियम 17 किसी न्यायालय को किसी पक्ष को अपनी दलील को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है जो न्यायसंगत हो। यह नियम यहीं पर नहीं रुकता है, लेकिन यह आगे कहता है कि ऐसे सभी संशोधन किए जाने चाहिए जो हो सके।

पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक। यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रावधान जो अदालत को अपने विवेकाधिकार में किसी पक्ष को अपनी दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देने का अधिकार देता है, पहले से ही क़ानून की पुस्तक में था, जब विशिष्ट राहत

अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया गया। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब बाद वाला कानून विचाराधीन था, तो संसद को इसके बारे में पता था अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति। इसलिए, यह सफलतापूर्वक आग्रह नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत आने वाले विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ऐसे मुकदमे के लिए सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 में निहित प्रावधान लागू होंगे और एक वादी [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

67. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम 1963 की धारा 21 की उप-धारा (5) मूल रूप से इस भ्रम को दूर करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या न्यायालय के पास अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत उस प्रभाव के लिए किसी भी अभिवचन के अभाव में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दावे में मुआवजा देने की शक्ति थी। 1963 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले कानून

आयोग ने अपनी 9 वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में

उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त विभिन्न रायों ने सिफारिश की कि किसी भी मामले में मुआवजे का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि इसका उचित अभिवचन द्वारा दावा नहीं किया जाता है।

68. आर्य प्रदेशक प्रीतिनिधि सभा, सिंध, पंजाब में

& बिलोचिस्तान बनाम। लाहौरी मल और ओआरएस। , (1924) 6 लाह एलजे 286: ए. आई. आर. 1924 लाह 713, लाहौर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि न्यायालय के पास विशिष्ट निष्पादन के प्रतिस्थापन या उसके अतिरिक्त हर्जाना देने की शक्ति है, भले ही वादी ने अपनी शिकायत और लिखित प्रस्तुतियों में विशेष रूप से दावा नहीं किया हो। इसके विपरीत, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमसुंदरम चेट्टियार बनाम. चिदम्बरम चेट्टियार, ए. आई. आर. 1951 मैड 282 ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय हर्जाने के लिए एक विशिष्ट दावे के अभाव में हर्जाना नहीं दे सकता है। 69. सोमसुंदरम चेट्टियार (ऊपर) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक विशिष्ट अभिवचन के बिना विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में हर्जाने के दावे की अनुमति नहीं देने का तर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि वादी को हर्जाने के लिए अपना दावा स्थापित करना चाहिए और प्रतिवादी को नोटिस पर रखा जाना चाहिए और तदनुसार सबूत पेश करने का अवसर होना चाहिए कि दावा किया गया हर्जाना अत्यधिक है या वादी को कोई हर्जाना नहीं हुआ है।

70. हमारे अंतिम निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. बाद के आदेश के खिलाफ एक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है।

((i)

यदि उसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी हो जाती हैं और अभिवचनों के संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत परे है। आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. के तहत संशोधन पर रोक लगाने की याचिका, इस प्रकार, गलत धारणा है और इसलिए

नकारात्मक।

भारत का परिसंघ निगम v. संजीव एस प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो आवश्यक हैं

विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करना बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के लिए अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने। यह अनिवार्य है, जैसा कि "होगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है,

सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्ध में।

संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए।

यदि प्रभावी और उचित के लिए संशोधन की आवश्यकता है

((i)

पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय,

और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते कि

((ख)

(अ)

संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे के साथ अन्याय नहीं होता है

एक तरफ,

(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्ष पक्ष द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति को वापस लेने की कोशिश नहीं करते हैं जो दूसरी तरफ अधिकार प्रदान करता है और

((ग)

संशोधन एक समयबद्ध दावा नहीं उठाता है,

जिसके परिणामस्वरूप किसी मूल्यवान वस्तु के दूसरे पक्ष का विनिवेश किया जाता है

उपार्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में)।

संशोधन के लिए एक प्रार्थना को आम तौर पर अनुमति देने की आवश्यकता होती है जब तक कि ((i)

संशोधन द्वारा, एक समयबद्ध दावे की मांग की जाती है प्रस्तुत किया जाए, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय से प्रतिबंधित होगा, एक प्रासंगिक कारक बन जाता है

विचार करें,

((ii) संशोधन मुकदमे की प्रकृति को बदल देता है, (iii) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या () 0 (iv)

संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध खो देता है

रक्षा।

अभिवचन के संशोधन के लिए एक प्रार्थना से निपटने में, अदालत को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जहां विरोधी पक्ष को लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जहाँ संशोधन अदालत को पिन करने में सक्षम बनाएगा विवाद पर स्पष्ट रूप से विचार करें और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करेंगे, संशोधन के लिए प्रार्थना

अनुमति दी जानी चाहिए।

जहां संशोधन ने केवल एक समय की शुरुआत किए बिना एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने की मांग की थी

कार्रवाई का वर्जित कारण, संशोधन की अनुमति सीमा समाप्त होने के बाद भी दी जा सकती है।

वाद में सामग्री विवरणों की अनुपस्थिति को ठीक करना। केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का पहलू तर्क योग्य है, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और मुद्दा

निर्णय के लिए अलग से बनाई गई सीमा।

जहां संशोधन मुकदमे की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदल देता है, ताकि एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया जा सके,

जहां प्रारंभ होने से पहले संशोधन की मांग की जाती है मुकदमे में, अदालत को अपने दृष्टिकोण में उदार होने की आवश्यकता है। अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि विरोधी पक्ष को संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह नहीं होता है, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित नहीं करता है जो उसने

संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, संशोधन की अनुमति दी जानी आवश्यक है। समान रूप से, जहां अदालत के लिए प्रभावी रूप से संशोधन आवश्यक है

पक्षों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दों पर निर्णय लेते हुए, संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। (विजय गुप्ता बनाम देखें। गगनिंदर क्र. गांधी और ओआरएस। , 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1897)

71. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम आश्वस्त हैं कि हमें डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित आदेश को बाधित नहीं करना चाहिए

उच्च न्यायालय, वादी के कहने पर दायर संशोधन आवेदन को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए।

72. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और खर्च के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है।

73. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)